Increase in price of Levy Sugar

*1034. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether producers, both in public and private sector, of sugar have been demanding increase in the prices of levy sugar;

(b) whether Government of Maharashtra have supported their demands; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (*a*) : Yes Sir, representations have been received from factories both in cooperative and Joint Stock sectors especially in the States of Maharashtra, Mysore and Andhra Pradesh for increase in prices fixed for levy sugar produced in 1969-70 season.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार

1035. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार विधियों को क्रियान्वित करने के बारे में और आगे कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राजनैतिक दल इस बात का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और राज्य में हिंसा तथा अशान्ति को बढ़ावा दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई आवश्यक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) : पश्चिमी बंगाल में बिचौलिए पट्टेदारों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार भूतपूर्व बिचौलियों के हितों की दृष्टि से प्रतिपूर्ति निर्धारण सूची के निर्माण कार्य में लगी हुई है।

रैयतों और रैयतों के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली लगान की वसूली भी अपने अधिकार में ले ली गई है। सह-फसलभागियों को पुरूलिया और इस्लामपुर के आन्तरित क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर पट्टेदारों के अधिकार नहीं दिए गये हैं। सह-फसलभागियों (बरगादारों) को पक्के अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने तक के लिए जून, 1969 में एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे अस्थाई रूप से बेदखली की एक वर्ष के लिए रोकने के लिए राज्य विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अन्तरिम सहायता के उपाय विचाराधीन हैं।

पुरूलिया और इस्लामपुर के अन्तरित क्षेत्रों में, जहाँ सह-फसलभागियों को बिहार टैनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत, भू-धारकों के अधिकार प्रदान कर दिये गये थे, सह-फसल-भागियों को पश्चिम बंगाल सम्पदा अर्जन अधि-नियम के अन्तर्गत, राज्य के सीधे सम्पर्क में लाया जा रहा है।

जहाँ तक जोत की अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है, अपवंचनों और बेनामी लेन-देन की जाँच-पड़ताल करने एवं अधिशेष भूमि हस्तगत करने और उसे भूमिहीन कृषकों में वितरित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि 3 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि सुपात्र श्रेणियों के भूमिहीन कृषकों में वितरण के लिए प्रकाश में लाई गई है। भूमि के वितरण के कार्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी के कारण रुकावट पड़ रही है। बेनामी लेन-देन से सम्बन्धित तहकीकात के बारे में सिविल न्यायालयों के न्याय अधिकार को छोड़ कर और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए विशेष अधिकरण स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।